रेड्डी संपत कुमार

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

8 सितंबर, 2005

[एच. के. सेमा और तरुण चटर्जी, न्यायाधिपतिगण]

दंड संहिता, 1860 - धारा 302 और 57 - हत्या - चिकित्सा व्यवसायी कथित रूप से अपने सास-ससुर और उनके तीन नाबालिग बच्चों को इंजेक्शन के माध्यम से जहर देकर उनकी मौत का कारण बना - क्रत्य कथित रूप से संपत्ति हड़पने के इरादे से किया गया - अधीनस्थ अदालतों द्वारा दोषसिद्धि - की वैधता, अभिनिर्धारित, वैध - अभियोजन ने आरोपी के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य सभी उचित संदेह से परे ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके स्थापित किए - इस तरह की वीभत्स, पूर्व-नियोजित और निर्दयतापूर्वक हत्या के लिए निवारक दंड की आवश्यकता है - अपीलकर्ता को धारा 57 आई. पी. सी. के संदर्भ में कारावास की सजा बिना किसी छूट के अधिकार के सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अपीलार्थी एक चिकित्सा व्यवसायी ने अपने सास-ससुर और उनके तीन नाबालिग बच्चों को इंजेकशन के माध्यम से जहर देकर उनकी मृत्यु कारित की। उसने उन्हे यह विश्वास दिलाने का काम किया कि वे एड्स से पीड़ित थे, जबकि यह एक तथ्य था कि उनके

परिवार का कोई भी सदस्य एडस से पीडित नहीं था। अपीलकर्ता ने कथित तौर पर अपने ससुर की संपत्ति हडपने के इरादे से यह कार्य किया। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपील पर, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्वि की पुष्टि की। इसलिये वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित किया गया- 1.1. मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनो ने अपीलकर्ता के अपराध की ओर ले जाने वाली परिस्थितयो के बारे में एक साथ निष्कर्ष दर्ज किया, जिसने श्रृंखला पूरी की और अपीलकर्ता के अपराध को छोडकर किसी भी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ है। अपीलकर्ता के विरूद्व जो परिस्थितियां स्थापित की गई, उनहे उच्च न्यायालय द्वारा संक्षिप्त रूप से गिनाया गया है। [135-डी-ई]

1.2. कानून का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि दोषसिद्वि को बनायेरखने के लिये, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिये और अभियुक्त के अपराध को छोडकर किसीभी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने मे असमर्थ होने चाहिये और ऐसे साक्ष्य न केवल अभियुक्त के

अपराध के अनुरूप होने चाहिये लेकिन उसकी बेगुनाही के साथ असंगत होने चाहिये। [133-सी]

1.3. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य को तर्कसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये उचित संदेह से परे स्थापित किया है। इसलिये, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किये गये समवर्ती निष्कर्षों में कोई दुर्बलता नहीं है जो इस न्यायालय द्वाराहस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। [136-डी-जे]

2.1. इस मामले के तथ्यों ने न्यायिक चेतना को झकझोर कर रख दिया। यह जघन्य हत्या, न्रशंस, पूर्व-नियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से की गई थी। यह निवारक दंड की मांग करता है। संपत्ति हडपने के लिये इस तरह की जघन्य और न्रशंस हत्या न केवल कानून को कमजोर करती है, बल्कि नागरिक समाज पर भी हानिकारक प्रभाव डालती है। [136-ई]

2.2. अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया है, उसे ध्यान मे रखते हुये, न्याय का उद्देश्य यह होगा कि अपीलकर्ता को धारा 57 आईपीसी के अंतर्गत जेल में होना चाहिये। यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को किसी भी शुभ अवसर पर राज्य या भारत सरकार द्वारा दी गई किसी भी छूट का लाभ नहीं मिलेगा। [136-एफ-जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 551/2004

आपराधिक अपील संख्या 313/2001 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांकित 5.9.2003 से।

अंसार अहमद चौधरी, अपीलार्थी के लिये।

पी. विनय कुमार और श्रीमती डी. भारती रेड्डी, प्रतिवादी के लिये ।

न्यायालय का निणर्य सेमा, न्यायाधिपति, द्वारा जारी किया गया था।

पक्षकारो को सुना गया।

एकमात्र अपीलार्थी पर धारा 302/201/467/468/420 भादंसं और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 15 (2) (बी) के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर रखे गये गये सबूतो और दस्तावेजो की गहन चर्चा के बाद अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उसे पांचो में से प्रत्येक शीर्षक के तहत आजीवन कठोर कारावास और पांच हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया और व्यतिक्रम की स्थिति में प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत एक महीने के लिये साधरण कारावास भुगतना होगा। अपील प्रस्तुत करने पर, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्वि की पुष्टि की। इसलिये विशेष अनुमति के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

स्थापित तथ्य यह हैं कि 11 - 12 मार्च, 1998 के मध्य में आरोपी, जो चिकित्सक था, ने पैन क्यूरोनियम ब्रोमाइड जिसका 'पावुलोन' व्यापारिक नाम है, के जहर के कारण अपने ससुर, सास और उनके तीन

नाबालिग बच्चों की हत्या कारित कर दी, जिसे इंजेक्शन के माध्यम से दिया गया था।

इस मामले के तथ्य, जैसा कि अभियोजन पक्ष की कहानी से पता चलता है, ने न्यायिक विवेक को झकझोर कर रख दिया। एक लालची दामाद ने ससुर की संपत्ति हडपने की नीयत से पूरे परिवार को समाप्त कर दिया, यहां तक कि तीन नाबालिग मासूम बच्चो को भी नहीं बख्शा गया था।

मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य सख्य पर आधारित है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमे अभियोजन साक्ष्य के बारे में बताया। वह हमे विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले तक भी ले गये है। किंतु विचारण अदालत और उच्च न्यायालय दोनो ने अपीलकर्ता के अपराध की ओर ले जाने वाली परिस्थितियो के बारे मे एक साथ निष्कर्ष दर्ज किया, जिसने श्रृंखला पूरी की और अपीलकर्ता के अपराध को छोडकर किसी भी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ रहा।

अपीलार्थी के विरुद्ध जो परिस्थितियाँ स्थापित की गई थी, उच्च न्यायालय द्वारा संक्षेप में निम्नलिखित रूप में गणना की गई है-

1. यह कि अभियुक्त मृतक संख्या 1 और 2 का दामाद था और वह चिकित्सा व्यवसायरत था।

2. कि उसने मृतक परिवार को यह विश्वास दिलाया कि वे एड्स से पीड़ित थे, जबकि यह सच था कि परिवार का कोइ्र भी सदस्य एड्स से पीड़ित नहीं था।

3. वह मृतक नंबर 1 को डॉ. रमेश कुमार (पीडब्लू9) के पास ले गया, उसकी जाँच कराई और निदान पर पहुंचने के लिये उसकी विभिन्न जांचे भी कराई।

4. कि अभियुक्त ने उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि वह उनका इलाज कलकत्ता से कुछ इंजेक्शन लाकर कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए उसने मृतक नंबर 1 से दो बार पैसे लिए।

5. उसके पहुंच कुछ अस्पतालो और दवाओतथा दवाओ की बिक्री से जुडे लोगों तक भी थी।

6. कि उसने मेसर्स जया कृष्ण मेडीकल हॉल, गोदावरी खानी से दिनांक 1/3/1998 को पावुलन इंजेक्शन खरीदा था।

7. वह मृतक व्यक्तियों के घर पर दिनांक 11/3/1998 की दुर्भाग्यपूर्ण रात को 10.00 और 11.00 बजे के आसपास देखा गया था।

8. घटना की उस रात, वह अपनी पत्नी को ससुराल के घर और अपने घर से दूर रखने में कामयाब रहा था।

9. कि चिकित्सा राय के अनुसार, मृत्यु पैन क्यूरोनियम ब्रोमाइड द्वारा जहर के कारण हुई थी, जिसका व्यापारिक नाम 'पावुलोन' है, जिसे इंजेक्शन के माध्यम से दिया गया था।

यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिये और अभियुक्त के अपराध को छोडकर किसी भी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिये ओर ऐसे साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिये लेकिन उसकी बेगुनाही के साथ असंगत होने चाहिये ।

इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर निर्धारित उपरोक्त कानूनी सिद्वांत को ध्यान में रखते हुए, हम स्पष्ट रूप से मानते है कि इस मामले मे अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ सभीउचित संदेह से परे परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्थापित किये है। इसलिए, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किये गये समवर्ती निष्कर्षों में कोई कमजोरी नहीं है जिसके लिये हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, इस मामले के तथ्यों ने न्यायिक विवेक को झकझोर दिया। यह वीभत्स हत्या निर्मम, पूर्वनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से की गई थी, यह निवारक दंड की मांग करता है। संपत्ति हडपने के लिये इस तरह की जघन्य और वीभत्स

हत्या न केवल कानून को कमजोर करती है, बल्कि नागरिक समाज पर भी हानिकारक प्रभाव डालती है।

अनुमति देने के समय, इस न्यायालय ने सजा बढाने के लिये कोई नोटिस जारी नहीं किया। हालांकि, अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया है, उस पर विचार करते हुए, न्याय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करेगा कि अपीलार्थी को भारतीय दंड की धारा 57 के अनुसार जेल में होना चाहिए। हम निर्देश देते है कि अपीलकर्ता को किसी भी शुभ अवसर पर राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा दी गई किसी भी छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

उपरोक्त निर्देशो के साथ अपील खारिज की जाती है। ।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा मे किया जा रहा है एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिये उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नही ली जायेगी। सभी आधिकारित एवं व्यवहारिक उद्देशयो के लियेउक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन मे भी उसी को उपयोग मे लिया जायेगा।